न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 45/22 GCMS NO 2022/79

1. देवनारायण पुत्र नादान
2. भरोसी पुत्र नादान जाति गुर्जर निवासीयान सीतोड तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती अनुष्का पत्नि गोविन्द सहाय पुत्री छीतर मल जाति मीना निवासी झाडोली तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
2. दुलीराम पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी सीतोड तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
3. भौरीलाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी सीतोड तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 41/20 दिनांक 29.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री योगेश शर्मा

दिनांक 5.2.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध बंटवारा दिनांक 29.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इस आशय का पेश किया कि ग्राम सीतोड तहसील बामनवास मे प्रार्थीगण की आराजी ख0न0 75 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.04 है एवं ख0न0 76 रकबा 4.71 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। जिनमे जाने के लिए एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 77 के पश्चिम दिशा की और 20X60 फीट का रास्ता बना हुआ है। जो नजरी नक्शे मे लाल रंग की लाईनो से दर्शित किया हुआ है। जिसमे होकर प्रार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही अपनी आराजीयात पर आते जाते रहे है तथा अपने कृषि यंत्रो व फसलो को लाते ले जाते रहे है। ख0न0 76 मे फसल रखने के लिए चाह ख0न0 75 के पास ही तीन गैर दुपल्ला पाटोर का भी निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 75 व 76 मे आने जाने के लिए ख0न0 77 के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। यह रास्ता जयपुर रोड पर खुलता है। मौके पर ख0न0 77 मे होकर मिटटी की रपट 20X60 फीट मे बनी हुई है जिसमे होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि ख0न0 75 व 76 पर आते जाते रहे है एवं फसल लाते जाते रहे है। उसे रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कई बार उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु कहा गया तो उनके द्वारा टालम टो[illegible] दिनांक 25.7.20 को स्पष्ट मना कर दिया गया। इस प्रकार आराजी ख0न0 77 जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमे लाल लाईन से दर्शित 20X60 फिट का रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे। इसके बाबत प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उचित प्रतिकर देने को तैयार [illegible] इस प्रकार की इस [illegible] अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:08 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभापको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने एवं खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वार जल्दबाजी मे बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प.51/2008 विविध क्रमांक 10547 दिनांक 5.10.20 जारी प्रपत्र का कोई अनुसरण नही किया गया। उक्त प्रपत्र अनुसार नियम 60 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध मे प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मगवाई जाती है जिसमे नियमानुसार भू अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए इसके अभाव मे मौका रिपोर्ट विधि के विपरीत होने के कारण अमान्य है तथा मौका रिपोर्ट मे समस्त पक्षकारो को विधिवत सूचित कर देना चाहिए लेकिन इस प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट तलब नही की गई इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर अपने कृषि कार्य हेतु स्वयं के पहुँचने अथवा कृषि यंत्रो को लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। इसका सबसे बडा प्रमाण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से होता है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया साबित है कि भूमि ख0न0 78 मे से प्राप्त नही कर ख0न0 77 मे से रास्ता चाहा है जबकि प्रार्थी की निकटतम रास्ता ख0न0 78 मे बनता है। जो नही चाहा गया है। ऐसी स्थिति मे चाहा गया अनुतोष विधि विरूद्व होने से दिये जाने योग्य नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने यदि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर ली होती तो यह स्पष्ट हो जाता कि ख0न0 78 मे आलरेडी प्लाटिंग हो रही है तथा प्रार्थीगण अपीलांट सदैव से ख0न0 77 की मेड पर होकर अपने खेतो पर पहुँच रहे है तथा किस प्रकार किन दस्तावेजो के आधार पर यह माना है कि प्रार्थीगण अपीलांट को ख0न0 78 मे होकर रास्ता लेना चाहिए था जबकि संबंधित रास्ता उक्त मेड पर होकर ही बनता है। इसके अलावा अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे कही भी किसी भी किसी भी राजस्व रिकार्ड की कोई विवेचना अपने निर्णय मे नही की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.9.2... पर कोई मनन नही किया। क्योकि किसी भी पक्षकार को अपने खेत पर रास्ता पहुँच मार्ग एक अधिकार है। जिसके लिए रास्ता होना या पहुँच मार्ग एक आवश्यक अधिकार है। इसी बाबत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 मे संशोधन कर धारा 251 ए जोडी गई है। उक्त प्रावधान के अनुसार जहॉ रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अभिलेख मे दर्ज नही हो तथा कृषक द्वारा परम्परागत रूप से सुखाधिकार के रूप मे जिस मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित एवं कारण सहित आदेश पारित करना चाहिए लेकिन मातहत अदालत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तो खारिज कर दिया लेकिन इस विषय पर अपना कोई मत पारित नही किया कि प्रार्थीगण अपने खेतो पर किस प्रकार कृषि कार्य हेतु पहुँच सकेगे। निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब को अपने निष्कर्ष मे दर्शाकर प्रार्थना पत्र इतिश्री कर ली है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरो मे स्पष्ट सिद्वान्त प्रतिपादित किया कि विचारण न्यायालय को अपने निर्णय मे विस्तृत विवेचना राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र,जबाब प्रार्थना पत्र का आधार बनाकर निर्णय पारित करना चाहिए था इस प्रकार तहत न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार पर विधि के विपरीत जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को गलत माना है। और कयास मात्र पर उक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो पर कोई गौर नही किया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब के अनुसार तहत न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह अंकित कर दिया कि प्रार्थीगण को ख0न0 77 मे से ना होकर ख0न0 78 मे निकटतम रास्ता बनता है। निकटतम रास्ता किस प्रकार ख0न0 78 मे से बनता है क्योकि किसी की खातेदारी भूमि के मध्य मे होकर किसी खातेदार को नुकसान पहुँचाया जाना उचित नही है। इस तथ्य पर कोई गौर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नही किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत है। क्योकि अपने निर्णय मे कोई विवेचना राजस्व रिकार्ड या मौके की नही की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश जल्दबाजी मे न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न्यायिक विवेक का कोई उपयोग नही हुआ है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर मौके पर प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता कायम किया जावे। जिससे की प्रार्थी की कृषि भूमि पर कृषि कार्य सुगमता से संचालित हो सके।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा चाही गई भूमि मे से कभी भी 20X60 फिट का कोई रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान मे है। इसलिए अपीलांट का यह कथन झूठा है कि अपीलांट का उनके पूर्वजो के समय से ही उनकी आमद रफत का व फसल लाने ले जाते रहने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे गलत नक्शा पेश किया गया था। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार लाल डोटेड लाईन से जो रास्ता ख0न0 77 मे होकर बताया है ऐसा कोई रास्ता है ही नही। अपीलांट द्वारा काल्पनिक रूप से तथ्य अंकित किये गये है। हाल ख0न0 117 मुख्य सडक हाईवे रोड है जिससे अपने खेत ख0न0 75 व 76 मे प्रार्थीगण ख0न0 78 मे होकर जाते है तथा ख0न0 78 मे होकर ही प्रार्थीगण/अपीलांट का निकटतम रास्ता है। अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पो0 की आराजीयात को हडपने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (1)(ए) मे भी यह प्रावधित है कि यदि किसी भूमिधारी के पास अपनी भूमि मे जाने हेतु कोई रास्ता नही है तो मुख्य रास्ते से उसकी भूमि तक जाने हेतु जा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निकटतम रास्ता जिस भी भूमि मे से होकर निकलता हो, उसी भूमि मे से रास्ता दिया जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी भूमि ख0न0 78 मे होकर ही अपीलांट की खातेदारी पर जाने का रास्ता माना है। अपीलांट द्वारा गलत रूप से निकटतम रास्ता रेस्पो0 की आराजीयात मे से चाहा गया है जबकि अपीलांट की आराजी पर पहुँच का निकटतम रास्ता भूमि ख0न0 78 मे से होकर जाता है। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की भूमि को हडपने की गरज से भूमि ख0न0 77 मे से रास्ता चाहा गया है भूमि ख0न0 78 मे से रास्ता नही चाहा गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि के अनुरूप ही खारिज किया है। जो विधि के अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि ख0न0 77 मे से अपनी आराजीयात ख0न0 75 व 76 पर आने जाने हेतु रास्ता प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए तहत रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार कराई जाकर प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर रास्ता दिये जाने या नही दिये जाने बाबत निर्णय पारित करना होता है। इसके बाबत राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प.51/2008/विविध/10547 दिनांक 5.10.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी रिपोर्ट के आराजी ख0न0 78 मे निकटतम रास्ता होने एवं प्रार्थी/अपीलांट द्वारा भूमि ख0न0 78 मे से रास्ता चाहे जाने का अनुतोष नही चाहने के आधार पर अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है तथा रास्ते के संबंध मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक अधिकारी के स्तर से तैयार कराई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास निर्णय मु0नं0 41/20 दिनांक 29.6.22 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भूमि ख0न0 75 व 76 पर आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद है या नही, यदि नही है तो किस ख0न0 मे निकटतम रास्ता उपलब्ध हो सकता है , के संबंध मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, प्राप्त रिपोर्ट एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.3.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:08 IST
Reason: SelfAttested